प्राथमिक डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

भगवती लाल पुत्र कन्हैया, जाति मीना, निवासी 9 बिस्वा टोडाभीम, तह. टोडाभीम जिला करौली राज0।
(वादी)

बनाम

1 शिम्भूदयाल
2 चिरंजीलाल } पि. कन्हैया
3 रामेश्वर
4 नत्थी पत्नि स्व. कन्हैया
5 राजेन्द्र } पि. गोकलराम
6 विजेन्द्र
7 सरला } पुत्रिया गोकलराम
8 पिंकी
9 रामसुखी } पुत्रिया कन्हैया
10 दिल्लो
11 रूकमणी

समस्त जाति मीना, निवासी 9 बिस्वा टोडाभीम, तह. टोडाभीम जिला करौली

12 तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली।
(प्रतिवादीगण)

मु0न0. 28/18

दावा बावत तकास्मा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई हमारे व हाजरी श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब मुदई रूबरू श्री लखन लाल मीना एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। दावा मय काउन्टर क्लेम काउन्टर डिकी किया जाता है। अतः तहसीलदार टोडाभीम को 300रूपये पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि आराजी ख0नं0 6219 रकबा 0.17है0, 6220 रकबा 0.10है0, 6222 रकबा 0.42है0 कुल किता 0.69है0 ग्राम 9बिस्वा टोडाभीम, तह0 टोडाभीम में मुताबिक जमाबंदी हिस्सानुसार खातेदारान का अलग अलग खाता कायम करते हुए बंटवारा स्कीम मय नक्शा दो प्रति में ट्रेस प्रस्तुत करे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद निज........—.......मुबलिंग..........—..........बाबत..........—..........अदा करे। बशरह.........—.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....—.....

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08.03.2019 को जारी की गई।

दस्तखत........ उपखण्ड अधिकारी / उपजिला कलेक्टर

ओहदा........ टोडाभीम (करौली)

(मुहर: कार्यालय उपजिला कलेक्टर ...)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकील नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			ववत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 28/18

तारीख रजू :– 09.02.2018

पीठासीन अधिकारी :– दुर्गाप्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

भगवती लाल पुत्र कन्हैया, जाति मीना, निवासी 9 बिस्वा टोडाभीम, तह. टोडाभीम जिला करौली राज0। (वादी)

बनाम

1 शिम्भूदयाल
2 चिरंजीलाल पि. कन्हैया
3 रामेश्वर
4 नत्थी पत्नि स्व. कन्हैया
5 राजेन्द्र पि. गोकलराम
6 विजेन्द्र
7 सरला पुत्रिया गोकलराम
8 पिंकी
9 रामसुखी पुत्रिया कन्हैया
10 दिल्लो
11 रूकमणी

समस्त जाति मीना, निवासी 9 बिस्वा टोडाभीम, तह. टोडाभीम जिला करौली

12 तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली। (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत् इस्तकरारहक, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 श्री सुरेश चंद शर्मा – अभिभाषक वादीगण

2 श्री लखन लाल मीना – अभिभाषक (प्रतिवादी नं0 1 ता 3, 5 ता 11)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

निर्णय

दिनांक– 08.03.2019

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 6219 रकबा 0.17है0, 6220 रकबा 0.10है0, 6222 रकबा 0.42है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.69है0 ग्राम 9 बिस्वा टोडाभीम में वादी बहिस्सा 9/48, प्रतिवादी नं0 1

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

ता 3 प्रत्येक 9/48 हिस्सा के, प्रतिवादी नं0 4 ता 8 संयुक्त बहिस्सा 9/48 तथा प्रतिवादी नं0 9, 10, 11 प्रत्येक 1/48 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित आराजीयात का हिस्सानुसार मौके पर बंटवारा कर रखा है। विधिवत् बंटवारा कराना चाहते है। प्रतिवादीगण ने तहसील में चलकर बंटवारा कराने से इंकार किया। इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा पेश कर अर्ज है कि दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमावे कि वादी 9/48 का खातेदार काश्तकार है। ख0नं0 6219, 6220, 6222 कुल किता 3 कुल रकबा 0.69है0 में बंटवारा स्कीम तलब फरमाकर वादी का अलग खाता कायम कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का बेचान नही करने के लिए मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमाये।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1, 2 व 4 ता 11 की ओर से श्री लखनलाल मीना एडवोकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादी नं0 12 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं0 3 के लिए समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन कराई गई। उनके उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं0 1, 2, 4 ता 8 ने अपना जबाव मय काउन्टर क्लेम पेश किया कि यह दावा बंटवारा का है, वादी के साथ साथ हमारा भी बंटवारा कर अलग अलग खातेदारी कायम कर दावा डिक्री कर दिया जावे, साथ ही इनके साथ वादी ने उपस्थित होकर राजीनामा भी इसी आशय से प्रस्तुत किया।

इस प्रकरण में राजीनामा एवं काउन्टर क्लेम के साथ दावा डिक्री करने हेतु वकील उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रांवली का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष ने जबाव काउन्टर क्लेम व राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री करने हेतु पत्रांवली पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी किये है। इस प्रकार यह दावा बंटवारा का प्राथमिक डिक्री योग्य प्रतीत होता है। दावा मय काउन्टर क्लेम काउन्टर डिक्री किया जाता है।

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

अतः तहसीलदार टोडाभीम को 300रूपये पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि आराजी ख0नं0 6219 रकबा 0.17है0, 6220 रकबा 0.10है0, 6222 रकबा 0.42है0 कुल किता 0.69है0 ग्राम ओबिरन्दा टोडाभीम, तह0 टोडाभीम में मुताबिक जमाबंदी हिस्सानुसार खातेदारान का अलग अलग खाता कायम करते हुए बंटवारा स्कीम मय नक्शा दो प्रति में ट्रेस प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दुर्गाप्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

कार्यालय उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली) राज0

Scanned by CamScanner